@shahjahanpurpol

प्रेस नोट- थाना सिंधौली -दिनाँक 01.05.24

थाना सिंधौली पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर हत्या का खुलासा कर 02 अभियुक्तों को मय आलाकत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन मे एवं श्री पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक सिंधौली के नेतृत्व में सिंधौली पुलिस द्वारा मुकदमे में नामित अभियुक्तगण संतोष पुत्र वीरेशपाल व गुड्डू पुत्र वीरेशपाल निवासीगण ग्राम बरौरा थाना सिंधौली जनपद शाहजहांपुर को आज दिनाँक 01.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर मूर्छा मोड़ पर स्थित यात्री शैड से सुबह 04.53 बजे गिरफ्तार किया गया है, तथा अभियुक्तगणों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर (आलाकत्ल) की बरामदगी की गयी है ।

पूछताछ विवरण......... अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मेरे पिता जी दो भाई हैं मेरे पिता जी का नाम वीरेश पाल है और मेरे चाचा का नाम लेखराम है । हम चार भाई हैं और मेरे पिताजी के तीन बहन हैं जिनके नाम -लक्ष्मण, सुनीता व सुरेखा है । मेरे पिताजी के पास 9 बीघा जमीन है तथा 9 बीघा जमीन मेरे चाचा लेखराम के पास भी है । मेरे पिताजी व चाचा अलग-अलग अपने मकान मे रहते हैं । मेरे चाचा अविवाहित थे। मेरे चाचा लेखराम मेरी बुआ सुनीता के घऱ ज्यादा आते जाते रहते थे। मेरे चाचा अपनी हिस्से की जगह व जमीन मेरी बुआ के लडके अरविन्द व उसकी पत्नी स्वाति के नाम कराना चाहते थे यह बात हमको बुरी लगती थी हम लोगो ने कई बार अपने चाचा लेखराम को समझाया लेकिन नही माने, और अपने हिस्से की जमीन मेरी बुआ सुनीता के पुत्र अरविन्द और स्वाति को ही देने पर अड़े रहते थे। दिनांक 29.04.2024 को जब मेरे चाचा बकरियां चरा कर आये तब उन्होने हम लोगों से कहा कि मैने कुछ जमीन अरविन्द के नाम कर दी है और कुछ जमीन मै एक या दो दिन में अपनी बहन के पुत्र अरविन्द और उसकी पत्नी सुनीता के नाम कर दूंगा यह बात हम दोनों भाईयों को बुरी लगी। तब हम दोनों भाईयों ने सोचा कि आज चाचा को जान से मार देते हैं इस पर गुड्डू घर से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस तथा सन्तोष घर से 12 बोर का तमंचा व कारतूस लेकर हम दोनो भाई अपने चाचा लेखराम के घऱ पहुंचे । समय करीब शाम 7 बजे का होगा । उस समय मेरे चाचा लेखराम अपने नल पर चप्पल निकालकर अपने हाथ व पैर धो रहे थे। गुड्डू ने पीछे से अपने चाचा की कमर मे 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी । जिससे चाचा नल के पास ही गिर गये थे फिर सन्तोष ने 12 बोर के तमंचे से चाचा के सिर मे गोली मार दी थी जिससे चाचा का सिर फट गया था और वह मर गये थे । जब हमे पूर्ण विश्वास हो गया था कि चाचा मर गये हैं तब हम दोनो भाई अपने तमंचे अपने घऱ में छिपाकर अपने मामा श्रीकृष्ण के घऱ मेहतापुर खुटार चले गये थे। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1-गुड्डू पुत्र वीरेशपाल निवासी ग्राम बरौरा थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।

2-सन्तोष पुत्र वीरेशपाल निवासी ग्राम बरौरा थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0-244/2024 धारा-302 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
2. एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

2.उप निरीक्षक रघुवीर प्रसाद थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

3. आरक्षी 2810 गौरव कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

5-आरक्षी 2510 अंकित गोस्वामी थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर